

जनपद न्यायालय, पीलीभीत के सरकारी वाहनों की नीलामी हेतु नीलामी

की नियम व शर्तें

1. सरकारी वाहन यू0 पी0 26 ए0/8687 (एम्बेसडर कार) की नीलामी दिनांक 18.11.2016 को सायं 03.00 बजे से जनपद न्यायालय, पीलीभीत के मीटिंग हाल में श्री पंकज कुमार उपाध्याय, प्रभारी अधिकारी नजारात/विशेष न्यायाधीश, एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट, पीलीभीत की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
2. नीलामी में बोली बोलने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2016 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर या दिनांक 18.11.2016 को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी नजारात अनुभाग की अनुमति के उपरान्त विभाग में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस नीलामी में सहभागिता हेतु जनपद पीलीभीत के अधिवक्तागण एवं न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण योग्य नहीं होंगे।
3. बोली दाता को जमानत/धरोहर धनराशि 10,000/-रुपये नकद धनराशि के रूप में दिनांक 18.11.2016 से पूर्व या दिनांक 18.11.2016 को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी, नजारात अनुभाग की अनुमति के उपरान्त जनपद न्यायालय, पीलीभीत के नजारात अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की दशा में जमानत/धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. उपरोक्त वाहन का निरीक्षण, इच्छुक व्यक्ति के द्वारा दिनांक 18.11.2016 के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य या दिनांक 18.11.2016 को बोली बोलने से पूर्व जनपद न्यायालय, पीलीभीत में प्रभारी अधिकारी, नजारात अनुभाग की अनुमति के उपरान्त किया जा सकता है।
5. जमानत/धरोहर धनराशि जमा करते समय बोली दाता को अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो, निवास तथा पहचान/परिचय पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटो कापी जनपद न्यायालय, पीलीभीत के नजारात अनुभाग में जमा करनी होगी।
6. नीलामी हेतु संदर्भित वाहन की नीलामी जहां भी जैसी भी स्थिति में है के आधार पर नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा तथा बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. सर्वाधिक बोलीदाता को सर्वोच्च/स्वीकृत बोली की 1/2 भाग की धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष 1/2 भाग की धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात 7 दिन के भीतर, वाहन का वास्तविक रूप में कब्जा लेने के पूर्व जनपद न्यायालय, पीलीभीत के नजारात अनुभाग में जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
8. नीलामी में सफल व्यक्ति अपने स्वयं के खर्च पर वाहन को नीलामी स्थल से ले जायेगा तथा उनको वाहन के विक्रय पत्र/हस्तान्तरण तथा नीलामी की विज्ञप्ति विज्ञापन का खर्च भी स्वयं वहन करना होगा।
9. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि उसी दिन नीलामी के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।





10. वाहनों की नीलामी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नीलामी स्वीकृति पत्र, दिनांकित 06.09.2016 में निर्गत किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार करायी जायेगी।
11. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत का निर्णय सर्वमान्य तथा अन्तिम होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

अध्यक्ष, नीलामी समिति

प्रभारी अधिकारी नजारात /

विशेष न्यायाधीश / एस0सी0एस0टी0 एक्ट,

पीलीभीत।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नीलामी की सूचना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. जनपद न्यायाधीश एवं मुंसिफी बीसलपुर के नोटिस पर चस्पा हेतु।
2. कार्यालय जिलाधिकारी पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. नगरपालिका परिषद, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. तहसील सदर, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. रोडवेज, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. रेलवे स्टेशन, जंक्शन, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।

प्रभारी अधिकारी नजारात /

विशेष न्यायाधीश / एस0सी0एस0टी0 एक्ट

पीलीभीत



की नियम व शर्तें

1. सरकारी वाहन यू0पी0 26 बी0/6033 (महेन्दा जीप) की नीलामी दिनांक 18.11.2016 को सायं 03.00 बजे से जनपद न्यायालय, पीलीभीत के मीटिंग हाल में श्री पंकज कुमार उपाध्याय, प्रभारी अधिकारी नजारात/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
2. नीलामी में बोली बोलने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2016 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर या दिनांक 18.11.2016 को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी नजारात अनुभाग की अनुमति के उपरान्त विभाग में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस नीलामी में सहभागिता हेतु जनपद पीलीभीत के अधिवक्तागण एवं न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण योग्य नहीं होंगे।
3. बोली दाता को जमानत/धरोहर धनराशि 10,000/-रुपये नकद धनराशि के रूप में दिनांक 18.11.2016 से पूर्व या दिनांक 18.11.2016 को बोली बोलने से पूर्व प्रभारी अधिकारी, नजारात अनुभाग की अनुमति के उपरान्त जनपद न्यायालय, पीलीभीत के नजारात अनुभाग में जमा करनी होगी। नीलामी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने की दशा में जमानत/धरोहर धनराशि जप्त कर ली जायेगी।
4. उपरोक्त वाहन का निरीक्षण, इच्छुक व्यक्ति के द्वारा दिनांक 18.11.2016 के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य या दिनांक 18.11.2016 को बोली बोलने से पूर्व जनपद न्यायालय, पीलीभीत में प्रभारी अधिकारी, नजारात अनुभाग की अनुमति के उपरान्त किया जा सकता है।
5. जमानत/धरोहर धनराशि जमा करते समय बोली दाता को अपनी दो पासपोर्ट साइज फोटो, निवास तथा पहचान/परिचय पत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटो कापी जनपद न्यायालय, पीलीभीत के नजारात अनुभाग में जमा करनी होगी।
6. नीलामी हेतु संदर्भित वाहन की नीलामी जहां भी जैसी भी स्थिति में है के आधार पर नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा तथा बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. सर्वाधिक बोलीदाता को सर्वाच्च/स्वीकृत बोली की 1/2 भाग की धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष 1/2 भाग की धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात 7 दिन के भीतर, वाहन का वास्तविक रूप में कब्जा लेने के पूर्व जनपद न्यायालय, पीलीभीत के नजारात अनुभाग में जमा करनी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष में जप्त कर ली जायेगी।
8. नीलामी में सफल व्यक्ति अपने स्वयं के खर्च पर वाहन को नीलामी स्थल से ले जायेगा तथा उनको वाहन के विक्रय पत्र/ हस्तान्तरण तथा नीलामी की विज्ञप्ति विज्ञापन का खर्च भी स्वयं वहन करना होगा।
9. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि उसी दिन नीलामी के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।



10. वाहनो की नीलामी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नीलामी स्वीकृति पत्र दिनांकित 14.09.2016 में निर्गत किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार करायी जायेगी।

11. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत का निर्णय सर्वमान्य तथा अन्तिम होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

अध्यक्ष, नीलामी समिति

प्रभारी अधिकारी नजारात

विशेष न्यायाधीश/एस0सी0एस0टी0 एकट

पीलीभीत

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नीलामी की सूचना के व्यापक प्रचार

प्रसार हेतु अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. जनपद न्यायाधीश एवं मुंसिफ्री बीसलपुर के नोटिस पर चस्पा हेतु।
2. कार्यालय जिलाधिकारी पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. नगरपालिका परिषद, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. तहसील सदर, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. रोडवेज, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. रेलवे स्टेशन, जंक्शन, पीलीभीत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।

प्रभारी अधिकारी नजारात

विशेष न्यायाधीश/एस0सी0एस0टी0 एकट

पीलीभीत